

प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 04.12.2025

अवैध व कुटरचित दस्तावेज के माध्यम से धोखाधड़ी कर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के आरोप में 01 नफर
अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से अवैध व कुटरचित दस्तावेजों बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में व संजय कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष एम्स के नेतृत्व में म0उनि0 प्रियंका यादव द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 496/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस से संबंधित रितू पुत्री अजीत सिंह निवासी चौहड़ कलां तहसील लोहारु थाना बहल जनपद भिवानी हरियाणा को कुटरचित दस्तावेज 01 अदद आधार कार्ड, 01 अदद फोटो, 01 अदद प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्ता द्वारा अवैध व कूटरचित प्रवेश पत्र के माध्यम से धोखाधड़ी कर रेलवे की महिला परीक्षार्थियों की PET/PMT/DV भर्ती प्रक्रिया के दौरान भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना एवं अभियुक्ता के पिता द्वारा सहयोग करने के सम्बंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रित पत्री अजीत सिंह निवासी चौहड़ कलां तहसील लोहारु थाना बहल जनपद भिवानी हरियाणा

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण

मोअोसं० 496/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता थाना एम्स गोरखपुर

बरामदगी-

1. एक अदद आधार कार्ड
 2. एक अदद फोटो
 3. एक अदद प्रवेश पत्र
 4. जाति प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र की छायाप्रति

गिरफ्तारी की टीम-

- ## 1. उ0नि0 प्रियंका यादव थाना एम्स जनपद गोरखपूर